| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी0ए0/6472/2006/भरतपुर**<br>**गोविन्दराम बनाम हरकिशन व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**

**डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य**

**उपस्थितः—**

**श्री अशोक अग्रवाल, वकील प्रार्थी की ओर से।**

**श्री एस0पी0सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।**

**निर्णय**

**दिनांकः—10.12.2024**

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा प्रकरण संख्या 105/2006 में पारित आदेश दिनांक 11—09—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी यह मानकर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को अपना पक्ष स्वयं सिद्ध करना होता है एवं न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित नहीं कर सकता, जो कि त्रूटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय आदेश 26 नियम 9 सीपीसी के प्रावधानों को समझनें में विफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को समझे बिना निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया था कि प्रार्थी साबिक खसरा नम्बर 4 रकबा 3 बिस्वा के रिकोर्डेड खातेदार है तथा नया खसरा संख्या 8 रकबा 0.02 गैर मुमकिन चाह भू प्रबंध के दौरान बना। अप्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या 8 रकबा 0.02 पर नहीं है। अप्रार्थी मात्र उक्त प्रश्नगत आराजी को प्रार्थी से हडपने का उद्देश्य रखता है। खसरा संख्या 08 का रकबा गलत तौर पर पुराने खसरा संख्या 6 बताया गया है जो कि मानचित्रों के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मौका कमीश्नर रिपोर्ट प्रश्नगत भूमि की वास्तिविक स्थिति को समझनें के लिए महत्वपूर्ण है जिससे कि सुविचारित व न्यायिक निर्णय पारित किया जा सके। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—09—2006 निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मौका कमीश्नर नियुक्त किये जाने स्वीकार फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधिवक्ता प्रार्थी निगराकार के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 महज साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है, जबकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण विचाराधीन है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी को अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करना होता है। परीक्षण न्यायालय ने निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी0ए0/6472/2006/भरतपुर**<br>**गोविन्दराम बनाम हरकिशन व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निगराकार ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग जिला भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। तत्पश्चात् अनिगराकार क्रम 01 ने दिनांक 18—08—2006 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। इसके उपरांत दिनांक 30—08—2006 को निगराकार ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 08 रकबा 0.02 वाके ग्राम अलिपुर की मौका रिपोर्ट तहसीलदार डीग से तलब किये जाने का कथन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अनिगराकार क्रम 01 ने दिनांक 04—09—2006 को पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट तलब किये जाने पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 11—09—2006 के द्वारा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—09—2006 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका अनिगराकार क्रम 01 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश कर दिया गया था। परीक्षण न्यायालय को प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना था, परंतु निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आराजी के सम्बंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 212 के प्रार्थना पत्र व उसपर दिये गये जवाब के आधार पर विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना था। उपर्युक्त स्थिति में निगराकार द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित किये जाने के उद्देश्य से तथा प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने बाबत् पेश किया गया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया। परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरांत निगराधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

6— परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11—09—2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

**(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)**
**सदस्य**